



कार्यालय, जनपद पंचायत कोरबा (छत्तीसगढ़)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम

(महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत अधिसूचित)



-0- संशोधित प्रेस विज्ञप्ति / समाचार -0-

क्रमांक / 3022 / ज.पं. / MGNREGA / स्था. / 2018

कोरबा, दिनांक 4-1-18

-00-

कार्यालय जनपद पंचायत कोरबा के आदेश क्रमांक / 3011 / ज.प. / म.गॉ.रा.ग्रा.रो.गा. यो. / 2018 कोरबा दिनांक 01.01.18 द्वारा कुल 11 ग्राम पंचायत- करूमौहा(अनारक्षित मुक्त), नकटीखार(अनारक्षित मुक्त), कुरुडीह(अनारक्षित मुक्त), तिलकेजा(अनारक्षित महिला), जिल्गा(अनारक्षित भूपूसै), दोंदरो(पिछड़ा वर्ग महिला), पतरापाली(अजजा मुक्त), अखरापाली(अजजा मुक्त), कुदमुरा(अजा मुक्त), गोडमा(अजा मुक्त), तिलाईडांड(अजा मुक्त)। में ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति हेतु सूचना पत्र जारी किया गया था। उक्त 11 गाम पंचायतों में से जिल्गा(अनारक्षित भूपूसै) 01 ग्राम पंचायत में भर्ती निरस्त की जाती है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत कोरबा
कोरबा, दिनांक 4-1-18

पृष्ठा क्रमांक / 3023 / ज.पं. / MGNREGA / 2018

प्रतिलिपि-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. जिला जनसम्पर्क अधिकारी जिला कोरबा की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. जिला सूचना अधिकारी एनआईसी कोरबा को कार्यालयीन वेबसाइट पर जनसूचनार्थ अपलोड करने हेतु सादर सम्प्रेषित।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत कोरबा